न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 32 / 2021

1 चन्द्रावली देवी पुत्री मोहन पत्नी जुगल किशोर जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गीता देवी पुत्री मोहन पत्नी भागीरथ।

2 सावित्री देवी पुत्री मोहन पत्नी रणजीत समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ हाल निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

3 मोहन पुत्र भाना जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

4 चुकी देवी पुत्री मोहन पत्नी राजेश।

5 रोहिताश देवी पुत्री मोहन पत्नी ओमप्रकाश।

6 विमला देवी पुत्री मोहन पत्नी प्रमोद समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ हाल आबाद सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

7 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.03.2021 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 261/2011 बउनवानी गीता देवी बनाम मोहन वगैरह।

उपस्थिति :

1. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:—28-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 261/2011 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी गीता देवी व बिमला देवी की ओर से भूमि खसरा नम्बर 223,224,323/272 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में 1/7—1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। दिनांक 09.02.2012 को वादी संख्या 02 बिमला देवी पत्नी प्रमोद कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वंय के हद तक वाद विड्रा करने का कथन किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय 02.06.2017 से वाद वादी डिक्री कर वादिया को भूमि खसरा नम्बर 223, 323/272 में से 0.30 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया। इसके विरूद्ध वादिया ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी

जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 323/272 वाके ग्राम जयसिंहपुरा रेस्पोडेंट संख्या 2 मोहन के पिता भानाराम की थी। भानाराम की मृत्यु होने पर एकमात्र वारिस मोहन के नाम दर्ज हुई है। दिनांक 14.10.2011 को मोहन ने खसरा नम्बर 224 रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र अपीलांट के नाम तस्दीक करवा दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका है। वादिया गीता दिनांक 18.10.2011 को अपीलांट के विक्रय पत्र के पश्चात विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय में नोशनल शेयर हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादिया गीता द्वारा अपीलांट को करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2011 को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश नवलगढ़ में चुनौती देकर दावा संख्या 30/2012 प्रस्तुत कर विक्रय पत्र निरस्त करने का अनुतोष चाहा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वादी गीता का वाद दिनांक 03.05.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादिया गीता ने इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में अब वादिया अपीलांट को विक्रित भूमि खसरा नम्बर 224 में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादिया गीता मोहन की पुत्री है। विधि अनुसार मोहन की खातेदारी में दर्ज भूमि में वादिया 1/7 नोशनल शेयर 0.30 हैक्टेयर लेने की अधिकारी है। वादिया विवादित भूमि की सहकाश्तकार नहीं होने के कारण प्रत्येक खसरे में 1/7 हिस्सा लेने की अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विवेचन किये बिना समस्त भूमियों में वादिया को खातेदार घोषित करने में विधिक भूल की है। दावा दायरी के दिन वादिया सहखातेदार काश्तकार नहीं थी। दावा दायरी से पूर्व वादिया के पिता द्वारा खसरा नं. 224 का अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को विक्रय किया जा चुका था। इस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का वादिया का वाद सिविल न्यायालय में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है। पुत्रियों का प्रत्येक खसरा नम्बर में 1/7 हक हिस्सा जन्म से है। दादा की सम्पत्ति में वादिया का विरासत में हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वाद वादी विधिक रूप से डिक्री किया है। वादी के अधिकारों के विरूद्ध निस्पादित विक्रय अभिलेख प्रारम्भ से शुन्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्राली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 323/272 वाके ग्राम जयसिंहपुरा रेस्पोडेंट संख्या 2 मोहन के पिता भानाराम की थी। भानाराम की मृत्यु होने पर एकमात्र वारिस मोहन के नाम दर्ज हुई है। दिनांक 14.10.2011 को मोहन ने खसरा नम्बर 224 रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र अपीलांट के नाम तस्दीक करवा दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका है। वादिया गीता दिनांक 18.10.2011 को अपीलांट के विक्रय पत्र के पश्चात विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय में नोशनल शेयर हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादिया गीता द्वारा अपीलांट को करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2011 को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश नवलगढ़ में चुनौती देकर दावा संख्या 30/2012 प्रस्तुत कर विक्रय पत्र निरस्त करने का अनुतोष चाहा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वादी गीता का वाद दिनांक 03.05.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादिया गीता ने इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में अब वादिया अपीलांट को विक्रित भूमि खसरा नम्बर 224 में किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादिया गीता मोहन की पुत्री है। विधि अनुसार मोहन की खातेदारी में दर्ज भूमि में वादिया 1/7 नोशनल शेयर 0.30 हैक्टेयर लेने की अधिकारी है। वादिया विवादित भूमि की सहकाश्तकार नहीं होने के कारण प्रत्येक खसरे में 1/7 हिस्सा लेने की अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विवेचन किये बिना समस्त भूमियों में वादिया को खातेदार घोषित करने में विधिक भूल की है। दावा दायरी के दिन वादिया सहखातेदार काश्तकार नहीं थी। दावा दायरी से पूर्व वादिया के पिता द्वारा खसरा नं. 224 का अपीलांट को विक्रय किया जा चुका था। इस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का वादिया का वाद सिविल न्यायालय में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वादिया को नोशनल शेयर के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 223, 323/272 वाके ग्राम जयसिंहपुरा में 1/7 हिस्से का अर्थात 0.30 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया इस हिस्से का विभाजन करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 2-8-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री धारा सिंह मीना, आर.ए.एस

1 चन्द्रावली देवी पुत्री मोहन पत्नी जुगल किशोर जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गीता देवी पुत्री मोहन पत्नी भागीरथ।
2 सावित्री देवी पुत्री मोहन पत्नी रणजीत समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ हाल निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 मोहन पुत्र भाना जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 चुकी देवी पुत्री मोहन पत्नी राजेश।
5 रोहिताश देवी पुत्री मोहन पत्नी ओमप्रकाश।
6 विमला देवी पुत्री मोहन पत्नी प्रमोद समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ हाल आबाद सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

नियमित अपील संख्या 32/2021 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 261/2011 उनवानी गीता देवी बनाम मोहन वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री धारा सिंह मीना आर.ए.एस. बहाजरी श्री मनोहरलाल सैनी वास्ते अपीलांट एवं श्री किशोर कुमार वास्ते रेस्पोडेंट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वादिया को नोशनल शेयर के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 223, 323/272 वाके ग्राम जयसिंहपुरा में 1/7 हिस्से का अर्थात 0.30 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया इस हिस्से का विभाजन करवाने हेतु स्वतंत्र है।

डिक्री आज दिनांक 28-9-22 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)